भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1681

(जिसका उत्तर सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाना है)

ऑफशोर मार्जिन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण

1681. **श्री पी पी चौधरी**:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विदेशी मुद्रा, कमॉडिटी और क्रिप्टोकरेंसी में मार्जिन ट्रेडिंग की पेशकश करने वाले तथा विनियमन के दायरे से बाहर विदेशी प्लेटफॉर्मों से संबद्ध जोखिमों से भारत के उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण उपायों का कार्यान्वयन करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में इन ऑफशोर मार्जिन ट्रेडिंग प्लेटफार्मों के कारण देश के निवासियों को हुए वित्तीय नुकसान के बारे में वर्ष-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या प्रभावित उपभोक्ताओं को इन प्लेटफार्मों से अपने धन की वसूली करने में सहायता करने हेतु कोई तंत्र स्थापित किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन प्लेटफार्मों में भारतीय निवेश के कुल मूल्य का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विनियमन के दायरे से बाहर रहने वाले इन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से निवेश के जोखिमों के बारे में देश के निवासियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, और क्या उक्त मुद्दे को हल करने के लिए कोई अंतर-मंत्रालयी समन्वय किया गया है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जनता को एडवाइज़री और जागरूकता अभियानों के माध्यम से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के अनुसार अनधिकृत निकायों/अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्मों के साथ विदेशी मुद्रा में लेनदेन न करने की चेतावनी दी है। एक 'अलर्ट सूची' भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है जिसमें उन संस्थाओं के नाम शामिल हैं जो न तो विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए अधिकृत हैं और न ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने के लिए अधिकृत हैं। इस सूची में उन निकायों/प्लेटफार्मों/वेबसाइटों के नाम भी शामिल हैं जो अनधिकृत निकायों/ईटीपी को बढ़ावा देते प्रतीत होते हैं जिनमें ऐसी अनधिकृत निकायों के विज्ञापनों के माध्यम से या प्रशिक्षण/सलाहकारी सेवाएं प्रदान करने का दावा करना शामिल है।

आरबीआई आभासी मुद्राओं के उपयोगकर्ताओं, धारकों एवं व्यापारियों को सार्वजनिक सूचना के माध्यम से संभावित आर्थिक, वित्तीय, परिचालन, कानूनी, ग्राहक सुरक्षा और सुरक्षा चिंताओं से जुड़े संभावित जोखिमों के बारे में सचेत करता रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने विनियमित निकायों को भी सलाह दी है कि वे आभासी मुद्राओं के लेन-देन के लिए अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी), धन शोधन रोधी (एएमएल), आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 आदि के अंतर्गत दायित्वों के मानकों को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुरूप ड्यू डिजिलेंस अपनाएं। इसके अतिरिक्त, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने अपने दिशा-निर्देशों में यह निर्धारित किया है कि क्रिप्टो/वर्चुअल डिजिटल आस्ति (वीडीए) और वीडीए एक्सचेंजों के लिए सभी विज्ञापनों में यह डिस्क्लेमर होना आवश्यक है कि ऐसी आस्तियां अविनियमित हैं और अत्यधिक जोखिमपूर्ण हो सकती हैं और ऐसे लेन-देनों से होने वाली किसी हानि के लिए कोई विनियामक समाधान नहीं होगा।

विगत तीन वर्षों में आरबीआई को अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार से संबंधित 169 संदर्भ प्राप्त हुए हैं। अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्मों पर व्यापार के कारण वित्तीय हानि की रिपोर्ट करने वाली शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	**शिकायतों की संख्या**
2022	2
2023	8
2024	7

प्रवर्तन निदेशालय को प्राप्त शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	**शिकायतों की संख्या**
2022-23	01
2023-24	02
2024-25*	03

*28 फरवरी 2025 तक

प्रवर्तन निदेशालय को फेमा और पीएमएलए के उल्लंघन संबंधी मामलों में उपयुक्त कार्रवाई करने का अधिकार है।

इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय ने किसी भी साइबर अपराध से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के लिए एक ढांचा और इकोसिस्टम उपलब्ध कराने हेतु भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (आई4सी) की स्थापना की है। ऐसे अनधिकृत प्लेटफार्मों के माध्यम से व्यापार सहित वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग के लिए 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' शुरू की गई है।

*****